न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 24/14

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1. राजेन्द्र तातेड पुत्र पूनमचंद तातेड जाति जैन नि–धारीवालों का मौहल्ला, नागौर। फर्म – मैसर्स तातेड किराणा स्टोर, स्टेशन रोड, मेडतासिटी। 2. सरला देवी पत्नी हनुमानप्रसाद भूतडा जाति माहेश्वरी नि–पलोडो की पोल, मेडतासिटी फर्म – शुभम ट्रेडर्स, मेडतासिटी 3. महेश चंद भंसाली पुत्र छीतरमल भंसाली, नि–14/580, अजमेरी दडा नला बाजार, अजमेर। फर्म – मैसर्स माहेश्वरी एन्टरप्राइजेज, अजमेरी दडा नला बाजार, अजमेर। 4. विवेक सुभाष भाई शाह पुत्र सुभाष भाई जयन्ती लाल शाह फर्म – हिपोलीन मार्केटिंग, 5, नारायण इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, इयावा बस स्टेण्ड के पास, विरोचन नगर, पो.आ. सानन्द 5. दक्षेस भूपेन्द्र भाई शाह पुत्र भूपेन्द्र भाई जयन्तीलाल शाह फर्म – हिपोलीन मार्केटिंग, 5, नारायण इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, इयावा बस स्टेण्ड के पास, विरोचन नगर, पो.आ. सानन्द

आदेश दिनांक :21.04.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 04-10-12 को मैसर्स तातेड किराणा स्टोर, स्टेशन रोड, मेडतासिटी, जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ आयोडिन युक्त नमक (सम्पूर्ण ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 303 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/573/एक्ट/2012/559 दिनांक 12.10.12 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ आयोडिन युक्त नमक (सम्पूर्ण ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राजेन्द्र तातेड पुत्र पूनमचंद तातेड जाति जैन नि–धारीवालों का मौहल्ला, नागौर, सरला देवी पत्नी हनुमानप्रसाद भूतडा जाति माहेश्वरी नि–पलोडो की पोल, मेडतासिटी, महेश चंद भंसाली पुत्र छीतरमल भंसाली, नि–14/580, अजमेरी दडा नला बाजार, अजमेर, विवेक सुभाष भाई शाह पुत्र सुभाष भाई जयन्ती लाल शाह तथा दक्षेस भूपेन्द्र भाई शाह पुत्र भूपेन्द्र भाई जयन्तीलाल शाह ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2.खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08.05.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 08.07.2014, अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 26.08.2014 तथा पुनः जवाब दिनांक 12.03.22 को प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया, अप्रार्थी संख्या 03 व 05 कि ओर से दिनाक 06.10.16 को श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 04 का निधन होने से उनको दिनांक 28.10.21 को स्ट्राइक आउट किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आयोडाइज नमक सम्पूर्ण ब्राण्ड जांच हेतु लिया था, मैंने शुभम ट्रेडर्स मेडता सिटी के बिल संख्या 2720 दिनांक 04.10.12 के द्वारा ब्रिकी हेतु प्राप्त किया था। इसमें मैंने मेरी ओर से कुछ भी नहीं मिलाया था तथा इस मुकदमें से दोष मुक्त करवाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाव में बताया कि हमनें यह माल अजमेर माहेश्वरी एण्टरप्राइजेज से खरीद कर आगे वेचा है तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/573/एक्ट/2012/559 दिनांक 12.10.12 के अनुसार खाद्य पदार्थ आयोडिन युक्त नमक (सम्पूर्ण ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 राजेन्द्र तातेड पुत्र पूनमचंद तातेड जाति जैन नि–धारीवालों

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

का मौहल्ला, नागौर पर रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 सरला देवी पत्नी हनुमानप्रसाद भूतडा जाति माहेश्वरी नि–पलोडो की पोल, मेडतासिटी पर रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 महेश चंद भंसाली पुत्र छीतरमल भंसाली, नि–14/580, अजमेरी दडा नला बाजार, अजमेर पर रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 05 दक्षेस भूपेन्द्र भाई शाह पुत्र भूपेन्द्र भाई जयन्तीलाल शाह, फर्म – हिपोलीन मार्केटिंग, 5, नारायण इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, इयावा बस स्टेण्ड के पास, विरोचन नगर, पो.आ. सानन्द पर रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये कुल रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)